

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

अधिसूचना

श्री राम किशोर कुमार, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को निजी एवं पारिवारिक कारणों से उनके अनुरोध के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74(ख)(i) एवं वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2-9-8/78/6190/वि0 दिनांक 27-04-1979 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 01-10-2018 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अनिल कुमार झा)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-  
3(स0)उ0स्था0(विविध/स्वैच्छिक से0नि0)10/2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, इ-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली, हाजीपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली/श्री राम किशोर कुमार, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

राकेश / 24-09-18